

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या 604/VII-1/2018-17-उद्योग/2013
देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से वृहत उद्यम क्षेत्र में प्रवेश को सुगम बनाने, पूंजी निवेश के प्रवाह तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त वृहत उद्यमों (श्रेणी-1) के विकास हेतु एतदद्वारा वृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ:

- (क) यह नीति उत्तराखण्ड वृहत (श्रेणी-1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 कहलायेगी।
(ख) यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी तथा अधिकतम पाँच वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

2. प्रस्तावना:

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा लार्ज (रूपये 50 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश) मेंगा एवं अल्ट्रा मेंगा औद्योगिक परियोजनाओं के विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 और मेंगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति-2015 स्वीकृत की गयी है।

उक्त नीतियों में परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए विनिधानित पूंजी निवेश की सीमा और लार्ज/मेंगा/अल्ट्रा मेंगा श्रेणी के उद्यमों के लिए निर्धारित पूंजी निवेश के अनुसार, मध्यम श्रेणी (विनिर्माणक उद्यमों के लिए यंत्र व संयंत्र में अधिकतम पूंजी निवेश रु. 10 करोड़ तथा सेवा उद्यमों के लिए उपस्कर में अधिकतम पूंजी निवेश रु. 5 करोड़) तथा लार्ज श्रेणी (भूमि, भवन तथा यंत्र व संयंत्र में न्यूनतम पूंजी निवेश रु. 50 करोड़) के मध्य वृहत श्रेणी के उद्यमों (श्रेणी-1) में पूंजी निवेश के लिए वर्तमान में राज्य सरकार की कोई प्रोत्साहन नीति उपलब्ध नहीं है। इसके दृष्टिगत उत्तराखण्ड वृहत (श्रेणी-1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018, प्रख्यापित करना अपरिहार्य हो गया है। इस नीति का उद्देश्य, ऐसे विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम, जो न तो एम०एस०एम०ई० नीति के अन्तर्गत और न ही मेंगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2015 से आच्छादित हो, को वित्तीय प्रोत्साहन देकर राज्य में नये वृहत उद्यम (श्रेणी-1) की स्थापना अथवा विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण के लिये निवेश आकर्षित कर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही वृहत उद्यमों के लिये एक ढांचा तैयार करना है।

3. नीति का दृष्टिकोण एवं क्रियान्वयन:

उत्तराखण्ड वृहत (श्रेणी-1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 का दृष्टिक्षेत्र, उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गतव्य के रूप में स्थापित करना है, जिससे पूंजी निवेश के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित हो सकें एवं प्रदेश के स्थायी समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास को बल मिले सकें।

3.1 ध्येय (मिशन):

- 1) प्रदेश में पूँजी निवेश बढ़ाना और इनमें अतिरिक्त पूँजी निवेश को प्रोत्साहन।
- 2) मध्यम उद्यम क्षेत्र से वृहत उद्यम (श्रेणी-1) क्षेत्र में प्रवेश को सुगम बनाना।
- 3) व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने के लिए व्यवसाय करने की सहजता को बढ़ावा देना।
- 4) कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए अधिकतम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार तथा रघु-रोजगार के अवसर सृजित करना।
- 5) वृहत विनिर्माणक तथा सेवा उद्यमों को सहायता प्रदान करना।
- 6) युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ावा एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।
- 7) संतुलित, रक्षायी एवं समेकित आर्थिक विकास के लिए नीति का प्रभावी क्रियान्वयन।

3.2 दृष्टिक्षेत्र (विजन) प्राप्त करने के लिये प्रस्तावना:

प्रदेश सरकार निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से दृष्टिक्षेत्र (विजन) को प्राप्त करने का प्रयास करेगी:-

- 1) अवस्थापना को सक्षम बनाना – नवीन अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा विद्यमान अवसंरचना सुविधाओं को उन्नयन करना।
- 2) रोजगार सृजन – रोजगार के नए अवसरों की रचना।
- 3) वित्तीय प्रोत्साहन – निवेश आकर्षण।
- 4) व्यापार करने में सहजता – एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाना।
- 5) मेक इन उत्तराखण्ड – मेक इन इण्डिया की सफलता का लाभ उठाना।
- 6) कुशल कार्यबल – जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना।
- 7) नवाचार – स्टार्ट-अप को बढ़ावा।
- 8) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा वृहत उद्योगों का समेकित विकास सुनिश्चित करना और इनमें अतिरिक्त पूँजी निवेश को प्रोत्साहन।
- 9) घरेलू एवं वैश्विक परिवेश – वाह्य कारकों से लाभ प्राप्त करना एवं उनके प्रति अनुक्रियाशीलता।

3.3 नीति का क्रियान्वयन:

यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी होगी। राज्य सरकार के विवेकानुसार नीति को संशोधित, विस्तारित या बंद किया जा सकता है, यदि इस नीति में कोई संशोधन अथवा परिवर्द्धन किया जाता है, तो भी सरकार द्वारा इकाई को पूर्व में स्वीकृत पैकेज वापस नहीं लिया जायेगा एवं इकाई को पूर्व स्वीकृत लाभ मिलते रहेंगे।

इस नीति के तहत वाणिज्यिक उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ करने की तारीख से अधिकतम 5 (पांच) वर्ष के लिए पात्र उद्यम/इकाइयां नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन और रियायते प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वे नीति की वैधता अवधि के भीतर प्रस्तावित गतिविधि/उत्पाद का वाणिज्यिक संचालन/उत्पादन शुरू करें।

इस नीति के तहत प्रोत्साहन/लाभ का दावा करने के लिये प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

(क) यदि इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, तो औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन इस सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने के लिये अधिकृत होगा।

(ख) विर्तिदिष्ट प्राविधानों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता होने पर, प्रकरण में व्याख्या करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

4. परिभाषाएँ:

(1) पूंजीगत निवेशः

(क) ऐसे विनिर्माणक बहुत उद्योग (श्रेणी-1), जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान रु. 10 करोड़ से अधिक हो किन्तु मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति-2015 में लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिये निर्धारित पूंजीगत सीमा रु. 50 करोड़ से कम हो।

(ख) सेवा प्रदाता बहुत उद्योग (श्रेणी-1), जहां उपस्कर में विनिधान रु. 5 करोड़ से अधिक हो किन्तु मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति-2015 में लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिये निर्धारित पूंजीगत सीमा रु. 50 करोड़ से कम हो।

(2) वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख से तात्पर्य है वाणिज्यिक पैमाने पर तैयार माल के विनिर्माण की शुरुआत जिसका पहले परीक्षण उत्पादन हो चुका हो तथा सम्पूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी का संरक्षण हो चुका हो तथा उस दिन संयंत्र वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादों के विनिर्माण के लिए हर प्रकार से तैयार हो तथा विनिर्माण हेतु अपेक्षित समस्त कच्चे माल, उपभोग वस्तुएं आदि उपलब्ध हों तथा यह केंद्रीय उप्पाद शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणों के पास पंजीकरण की तारीख के अनुरूप हों।

(3) 'औद्योगिक इकाई' का अर्थ है सरकार द्वारा विभागीय/निगम के माध्यम से संचालित इकाई से भिन्न कोई औद्योगिक उपक्रम अथवा पात्र सेवा प्रदाता इकाई जो कि वस्तु और सेवा कर के तहत एक पंजीकृत व्यापार उद्यम है।

(4) 'विनिर्माण कार्य' का अर्थ है वह कार्य जो निर्जीव भौतिक वस्तु अथवा मद अथवा चीज में परिवर्तन लाता है। (i) जिसके परिणामस्वरूप वस्तु, मद अथवा चीज का एक नये तथा विशिष्ट, वस्तु अथवा मद अथवा चीज में कायान्तरण होता है जिसका अलग नाम, गुण तथा इस्तेमाल होता है, अथवा (ii) जिससे एक अलग रासायनिक मिश्रण अथवा भिन्न ढांचे के साथ एक नयी तथा विशिष्ट वस्तु, मद अथवा चीज का निर्माण होता है।

(5) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ है वह औद्योगिक इकाई जिसने नीति लागू होने की अधिसूचना जारी होने की तारीख अथवा उसके बाद इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिये उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञान अधिनियम-2012 के अंतर्गत उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृति/अनापत्ति/अनुज्ञा/अनुमोदन के लिये राज्य नोडल ऐजेंसी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में ऑनलाइन आवेदन कर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो तथा उद्यम स्थापनार्थ उक्त तिथि से पूर्व कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया हो।

(6) 'पर्याप्त विस्तार' की इकाई का अर्थ है क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के प्रयोजन के लिये इकाई के पूर्व स्वरूप में क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण के लिये संयंत्र एवं मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में कम से कम 25 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी की हो तथा मौजूदा इकाई के विस्तार के लिये उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम-2012 के अंतर्गत वांछित स्वीकृति/अनापत्ति/अनुज्ञा/अनुमोदन के लिये

राज्य नोडल एजेंसी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में ऑनलाइन आवेदन कर सैद्धान्तिक रवीकृति प्राप्त की हो तथा उद्यम के विस्तारीकरण के लिए उक्त तिथि से पूर्व कोई प्रभारी कदम नहीं उठाया हो।

- (7) 'संयंत्र और मशीनरी' में रथल पर स्थापित नए खरीदे गए औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी शामिल होंगे। अन्यत्र से विरक्षापित/रिसाइकिल/रिफर्बिश्ड संयंत्र और मशीनरी इस रकीम के तहत सहायता के पात्र नहीं है। सेवा क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के लिए संयंत्र और मशीनरी में भवन के निर्माण की लागत और उस विशेष सेवा उद्योग के प्रचालन हेतु बुनियादी रूप से आवश्यक वास्तविक परिसंपत्तियां शामिल होंगी लेकिन इससे भूमि और उपभोज्य, डिस्पोजेबल अथवा राजस्व प्रभार वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं होगी।
- (8) **सक्षम प्रधिकारी:** सक्षम प्रधिकारी का तात्पर्य विभाग या एजेंसी के ऐसे प्रधिकारी अथवा प्रतिनिधि से है, जिन्हें इस नीति के कार्यान्वयन के लिये विशिष्ट प्राधिकारी नामित किया गया हो।
- (9) **वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति की प्रक्रिया**
नीति के तहत प्रोत्साहन सहायता के दावों के प्रस्तुतीकरण, स्क्रुटनी तथा दावों की स्वीकृति के लिये समिति के गठन के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अलग से प्रचालनात्मक दिशा—निर्देश जारी करते हुए समिति का गठन करेगा।
- (10) **वितरण एजेंसी:** सिडकुल अथवा अन्य नामित एजेंसी/विभाग, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रोत्साहन/लाभ के वितरण/प्रतिपूर्ति के लिए अधिकृत किया गया हो।
- (11) **अचल पूँजीगत निवेश:** अचल पूँजी निवेश से तात्पर्य परियोजना की स्थापना के लिये सृजित की जाने वाली रथाई परिसंपत्तियों, जैसे यंत्र एवं संयंत्र, उपस्कर, फैक्ट्री बिल्डिंग आदि में किये गये पूँजीगत निवेश से है।
- (12) **वृहत विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम (श्रेणी-1):** वृहत विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम (श्रेणी-1) का अर्थ ऐसे वृहत विनिर्माणक /सेवा उद्यमों से है, जिनमें "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006" में मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यम के वर्गीकरण के लिये यंत्र एवं संयंत्र/उपस्कर में निर्धारित पूँजीगत निवेश की सीमा से अधिक पूँजी निवेश हो, किन्तु "मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति-2015" में लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिये निर्धारित पूँजीगत सीमा से कम हो।
- (13) 'प्रभावी कदम' से आशय, निम्नलिखित एक अथवा अधिक कदमों से है:-
a) औद्योगिक इकाई के लिए जारी की गयी पूँजी का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का भुगतान किया जा चुका हो।
b) फैक्ट्री भवन के किसी हिस्से का निर्माण हो चुका हो।
c) औद्योगिक इकाई के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र अथवा मशीनरी के लिए निश्चित (Firm) आदेश दिया जा चुका हो।

5. पात्रता मापदंड

- (क) नीति के अंतर्गत उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम-2012 के अंतर्गत नये उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के प्रयोग्यत्वे विस्तारीकरण हेतु सभी वांछित स्वीकृति/अनापत्ति/अनुज्ञा/अनुमोदन के लिये राज्य नोडल ऐजेंसी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में ऑनलाइन आवेदन कर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो।
- (ख) भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सहायता सचिवालय, उद्योग भवन नई दिल्ली में वृहत उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के विस्तार के लिये आई०ई०एम० (Industrial Entrepreneurs Memorandum) दाखिल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो।
- (ग) केंद्र/राज्य सरकार की किसी योजना/नीति के तहत पहले से समान प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाईयों नीति के तहत प्रदत्त प्रोत्साहनों की पात्र नहीं होंगे।

6. नीति के तहत प्रदत्त प्रोत्साहन/लाभ:

- (क) सिल्कुल द्वारा भूमि आवंटन इस नीति के तहत सिल्कुल औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूमि का 50 प्रतिशत प्रीमियम, भूमि के आवंटन पर ही देय होगा और शेष राशि अगले 2 वर्षों में दो समान किश्तों में ब्याज के साथ देय होगी। यदि भूमि आवंटन पर पूरा 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है, तो भूमि के प्रीमियम की गणना में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- (ख) नीति के तहत अन्य रियायतें और प्रोत्साहन
- (1) परियोजना के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थान से लिये गये सावधि ऋण पर लागू साधारण ब्याज दर में 5 प्रतिशत, अधिकतम रु 3 लाख प्रति इकाई/प्रतिवर्ष ब्याज की प्रतिपूर्ति।
 - (2) उद्यम की स्थापना/विस्तार के लिये क्रय/लीज पर ली गयी भूमि के क्रय विलेख पत्र/लीज डीड के निष्पादन में स्टॉम्प शुल्क प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट।
 - (3) ई.टी.पी की स्थापना के लिये 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 20 लाख तक का पूंजीगत उपादान।

7. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-13/XXVII(2)/2018, दिनांक 28.09.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(मनीष पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 604 (1) / VII-I / 2018 / 17—उद्योग / 2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव— मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव गोपन (मंत्रीपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढवाल/कुमायूँ मण्डल।
6. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक सूचना, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई०टी०पार्क, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी गजेट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आद्वा/स
(राजेन्द्र सिंह पात्रियाल)
सप्. सचिव